

क

अनुबंध

अनुबंध

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

अनुबंध आरंभ दिनांक

माह

वर्ष

को प्रथम पक्ष श्री

५

द्वितीय पक्ष श्री

आयु

निवासी

इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी तथा समनुदेशिनी सम्मिलित हैं) और द्वितीय पक्ष

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

आयु

निवासी

इसके पश्चात् बटाईदार कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी सम्मिलित हैं), के बीच निम्नादित किया गया:

२. अनुबंधाधीन भूमि का विवरण खसरा नम्बर

खसरा

खसरा नम्बर

ग्राम

पट्टापी हलका

तहसील

जिला

३. अनुबंध की अवधि-दिनांक

से दिनांक

तक होगी

४. अनुबंध अनुसार प्रतिफल—

(क) बटाईदार द्वारा भूमिस्वामी को प्रतिवर्ष राशि देय होने पर इस अनुबंध में बटाईदार को देय होने वाली भूमि के लिये एक वर्ष के लिये निश्चित देय राशि रु. (अंकों में) (एक हजार)

(ख) अनुबंध के अन्तर्गत बटाईदार को देय होने वाली भूमि के लिये एक वर्ष के लिये निश्चित देय राशि देय होने पर भूमिस्वामी एवं फसलदार भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हिस्से का निम्नलिखित होगा:—

(ग) यदि खाद, बीज, सिंचाई तथा अन्य किसी भी कार्य में भूमिस्वामी एवं बटाईदार के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो तो दोनों पक्षों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण व्यवस्था—

(घ) (एक) प्रतिवर्ष राशि या फसल का हिस्सा देने की अंतिम तिथियाँ

(दो) प्रतिवर्ष राशि प्रतिशत की वृद्धि होगी,

(तीन) प्रतिवर्ष फसल के हिस्से में होने वाली वृद्धि का विवरण

(१) बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले सुधार कार्यों एवं उससे संबंधित खर्चों का उल्लेख

(२) सुधार कार्य के विषय में यदि उल्लेख नहीं है तो भूमिस्वामी एवं बटाईदार के स्वाधिकार को ही जाएगा।

बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले आनुवंशिक कार्यों एवं शर्तों का उल्लेख

प्रावर्तक आपदा या अन्यथा फसल हानि की स्थिति में देय सहायता

प्रतिशत बटाईदार तथा

प्रतिशत

भूमिस्वामी को प्राप्त करने का अधिकार होगा।

भूमिस्वामी यह स्वीकार करता है और बतान देता है कि वह अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा तथा बटाईदार के कर्तव्य दायित्व में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यवधान नहीं करेगा।



संभार करता है कि यह बात है कि वह

अनुबंध का उल्लंघन नहीं होगा तथा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दिनांक के पूर्व भूमिस्वामी का प्रतिफल का भुगतान का समीप प्राप्त करेगा।

अनुबंध या अनुबंध अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात्, बटलैंटर भूमिस्वामी का कब्जा वापस सौंप देगा

वह अनुबंधाधीन भूमि पर हक्क, कब्जा का अधिकार या अन्य कोई भी अधिकार प्राप्त करने के लिये अनुबंध के किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी भी न्यायालय में कोई वाद, आवेदन, प्रार्थना नहीं लगाएगा, और ऐसा करने का कोई अधिकार उसे किसी विधि में प्राप्त हो ता भी वह ऐसे अधिकार का त्याग करता है।

१०. अनुबंध अवधि या अनुबंध समाप्त होने पर, भूमि विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी का स्वतः प्रतिवर्तित हो जायगी तथा बटलैंटर भूमि से बेदखल हो जावेगा एवं भूमिस्वामी का भूमि पर कब्जा हो जावेगा। इस हेतु किसी प्रकार का आदेश, वकील आवाहन नहीं होगी।

११. अनुबंध अवधि या अनुबंध की समाप्ति पर बटलैंटर भूमि से कब्जा नहीं छोड़ता है तो बटलैंटर अधिनिर्वास की भाँति १२ के अधीन भूमिस्वामी का कब्जा पुनः स्थापित कराया तथा उसे पर भुगतान का बिल देकर भी बटलैंटर को बटलैंटर भूमि से बेदखल किया जावेगा।

१२. भूमिस्वामी एवं बटलैंटर दोनों यह अंगीकार करते हैं कि यदि वह अनुबंध का पालन नहीं करता है तो अधिनिर्वास की भाँति १० के अधीन बटलैंटर द्वारा भूमिस्वामी को पर हक्का रूप में बटलैंटर भूमि से बेदखल किया जावेगा तथा अनुबंध का बिलपूर्वक फलस्वरूप कराया जावेगा।

स्थान दिनांक को स्थान पर भी दोनों पक्षों के बीच अनुबंध के अंगीकार के लिये १ तम अंक १२ पर अनुबंध के साथ प्रमाण पर हक्का रूप में बटलैंटर भूमि से बेदखल किया जावेगा एवं अनुबंध के अंगीकार के लिये १० के अधीन बटलैंटर द्वारा भूमिस्वामी को पर हक्का रूप में बटलैंटर भूमि से बेदखल किया जावेगा तथा अनुबंध का बिलपूर्वक फलस्वरूप कराया जावेगा।

हस्ताक्षर

साक्षी प्रमाण-१

साक्षी प्रमाण-२

हस्ताक्षर

पक्षधार प्रमाण-१

पक्षधार प्रमाण-२

समस्त विधि

पक्षधार प्रमाण-२

पक्षधार प्रमाण-१

टीप-१. अनुबंध पर उभय पक्षधारी के पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाए जाएं।

२. अनुबंध के साथ उभय पक्षों के बीच पहचान पत्र संलग्न किए जाएं।

३. अनुबंध-पत्र तीन प्रतियों में तैयार किए जाएं।

४. प्रत्येक पक्षधारी अनुबंध का एक प्रति अपने पास रखे।

५. उभय पक्ष अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

६. हस्ताक्षर के साथ अंगुष्ठ निम्न भी संलग्न किया जावेगा।